Gk Search Engine

राजस्थान योजना 2025

1. विधायक – शिक्षा का साथी योजना

🟩उद्घाटन: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (26 जून 2025 को)

स्थान: जोधपुर

लक्ष्य: राजकीय विद्यालयों के समग्र विकास में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

मुख्य उद्देश्य: विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की सुविधा, गुणवत्ता और अधोसंरचना सुधार के लिए प्रोत्साहित करना।

2. मातृ वन योजना

🟩उद्घाटन: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (26 जून 2025 को)

स्थान: जोधपुर

लक्ष्य: माताओं के नाम पर वृक्षारोपण कर उन्हें सम्मानित करना और पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाना।

मुख्य उद्देश्य: महिलाओं (विशेषकर माताओं) के सम्मान में "एक वृक्ष – एक सम्मान" की भावना को विकसित करना।

GK Search Engine

3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना

♦राजस्थान में BPL परिवारों के लिए राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना शुरू की है

♦यह योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू की गई

♦योजना के तहत, राजस्थान सरकार चिन्हित 5000 गांवों में बीपीएल परिवारों पर एक-एक लाख रुपये खर्च करेगी और उन्हें स्वरोजगार और आजीविका सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगी।

♦इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

♦राजस्थान में बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार, राज्य में लगभग 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

4. मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 7 अप्रैल से मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना शुरू की गई है

♦ मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है।

♦इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

GK Search Engine

5. सरस लाडो मायरा योजना

♦जयपुर डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना की घोषणा की है। यह योजना 5 अप्रैल 2025 से शुरू हुई।

♦इसके अंतर्गत डेयरी बेटियों की शादी में 21 हजार रुपये का मायरा भरेगी। इसका मकसद आर्थिक सहारा देना और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है।

♦इस योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21 हजार रुपये का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा।

♦ यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ-साथ आर्थिक सहारा भी प्रदान करेगी।

GK Search Engine

6. बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना

📌योजना का नामः बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना।

शुरुआत की तिथिः 14 अप्रैल 2025।

📌शुभारंभकर्ताः राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा।

📌उद्देश्यः अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना।

📌लक्षित क्षेत्रः ऐसे गाँव जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है।

📌बजट प्रावधानः योजना के लिए ₹250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

7. मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना

📌1 अप्रैल, 2025 से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है और इसके तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिया गया है।

📌यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2025-26 के बजट में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया था।

📌राजश्री योजना के तहत् बेटियों को ₹ 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती थी,

📌लाभार्थीः राजस्थान की मूल निवासी बालिकाएँ जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से संबद्ध निजी अस्पताल में हुआ हो।

📌यह योजना सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए है, चाहे वे सरकारी या निजी स्कूलों में पढ़ती हों।

8. राजस्थान 'बर्तन बैंक योजना'

📌 राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में 'बर्तन बैंक योजना' की शुरुआत की गई है।

📌 इस योजना के तहत राजस्थान का पहला 'स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में 7 मई 2025 में शुरू किया गया है।

📌 वर्ष 2025-26 के बजट के तहत 'बर्तन बैंक योजना' के प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे।

📌 इन 1,000 ग्राम पंचायतों को ₹ ।। लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएँगे।

Gk Search Engine

9. राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

♦राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने नए साल के मौके पर राज्य के गोपालक परिवारों के लिए एक क्रांतिकारी पहल करते हुए 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' की शुरुआत की।

♦सिरोही के माउंट आबू में आयोजित भव्य समारोह में 1 जनवरी 2025 को योजना का शुभारंभ किया गया

♦इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गोपालक परिवारों को ₹1 लाख तक का अल्पकालिक ब्याज मुक्त लोन

♦ राज्य सरकार इस योजना के तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को कुल ₹5000 करोड़ का कर्ज प्रदान करेगी। इसके अलावा, सरकार ₹150 करोड़ की ब्याज राशि का भार वहन करेगी।

10. मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना

♦ योजना की शुरुआत – 14 दिसंबर 2024 (महिला सम्मेलन उदयपुर से)

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था

♦प्रत्येक बच्चे को 100 ml दूध दिया जाता है।

GK Search Engine

11.मुख्यमंत्री “मंगला पशु बीमा योजना

📌शुरुआत - 13 दिसम्बर को (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कायड़ (अजमेर) में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शुभारंभ किया) 📌लाभार्थी:- किसान व पशुपालक

21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।

📌 इस योजना में 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे। बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपये

GK Search Engine

12. मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना

♦ शुभारंभ 15 दिसम्बर 2024 को CM भजनलाल शर्मा द्वारा

♦इस योजना में 18 साल तक के बच्चों को 50 तरह की बीमारियों में विशेष इलाज की सुविधा निशुल्क मिलेगी।

♦ दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 'मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना' तहत उनकी देखभाल के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी

13.मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान

♦शुभारंभ 15 दिसम्बर को (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। द्वारा)

♦इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तरह की कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाएगा।

♦इस योजना में लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

14. राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

लागू:- 15 दिसम्बर 2024

📌41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल सकेगी।

📌 असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हो और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकृत हों।

📌 लाभार्थियों को 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच मासिक प्रीमियम जमा करना होगा, जो ₹60 से ₹100 तक हो सकता है।

GK Search Engine

15. पन्नाधाय बाल गोपाल योजना

📌नाम परिवर्तित करके 4 सितंबर 2024 को पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना किया गया है।

📌पूर्व नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना - 29 नवंबर 2022

📌इसके तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था।

✅ इस योजना में प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है।

अब इस योजना को नए सिरे से शुरू कर बच्चों को मोटे अनाज से बने व्यंजन दिए जाएंगे।

16. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त गांव योजना

राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त गांव योजना की शुरुआत की।

♦पहले चरण में यह योजना 5,000 गांवों में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

♦इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसायों व नौकरियों के ज़रिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे परिवारों पर केंद्रित है।

♦चुने गए प्रत्येक परिवार को ₹1 लाख तक की सहायता दी जाएगी ताकि वे कोई काम या छोटा व्यापार शुरू कर सकें

♦स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को ₹15,000 प्रति परिवार की अतिरिक्त सहायता मिलेगी

♦जो परिवार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से ₹21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिए उनके सत्यापित बैंक खातों में भेजी जाएगी।

GK Search Engine

17. बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना

♦उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने 15 जुलाई को विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से बायोफोर्टीफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

♦यह पहल 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति व ठहराव बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

♦इस पायलट परियोजना के तहत जयपुर व उदयपुर जिलों के 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10 हजार बच्चों को सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 माह तक दी जाएगी।

♦न्यूट्री बार बायोफोर्टीफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई

18. भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना

राजस्थान सरकार ने भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना शुरू की है

♦योजना की शुरुआत - बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा द्वारा की गई थी

♦योजना का संचालन - वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की तर्ज पर किया जा रहा है

♦• योजना के तहत राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को Dr. अंबेडकर की जीवनी से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा-

♦1. जन्म भूमि (महू) 2. दीक्षा भूमि (नागपुर) 3. महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली) 4. चैत्य भूमि (मुंबई) 5. इंदु मिला (मुंबई) - बाबा साहेब का स्मारक

✓ इन सभी स्थानों पर रेलमार्ग से राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क यात्रा करवाई जाएगी।

GK Search Engine

19. मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सहायता के साथ-साथ आर्थिक मदद भी प्रदान की जाएगी।

⭕ इस योजना के तहत, प्रभावित बच्चों को हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता और 50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

⭕ इस योजना के माध्यम से 56 विभिन्न प्रकार की दुर्लभ बीमारियों का इलाज किया जाएगा।

⭕ इसका उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना

GK Search Engine

20. नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम

♦किसानों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत उन्हें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है।

♦ इस स्वीकृति से एफपीओ के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण करेंगे। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नवीनतम तकनीकों एवं नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

♦ चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के मध्य विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय भ्रमण कराया जाएगा।

21. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग और ग्रामीण उद्यमियों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा।

22. सुरक्षित सफर योजना'

राजस्थान की सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठा रही है. इसके तहत सरकार नई योजना शुरू कर रही है जिसका नाम है 'सुरक्षित सफर योजना'.

- योजना का मकसद बच्चों की स्कूल यात्रा को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप बनाना है. इसके तहत सभी स्कूल बसों को अनिवार्य रूप से विशेष परमिट, वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखना होगा.
- योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा
- 1 से 07 सितम्बर 2025 तक जनजागरूकता अभियान चलेगा.
- 8 से 15 सितम्बर 2025 तक बसों की जांच और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा.

16 से 30 सितम्बर 2025 तक वाहनों का पंजीकरण और अंतिम सत्यापन कार्य पूरा होगा

GK Search Engine

राजस्थान नीति 2025

1. राजस्थान एआई पॉलिसी-2025

- राजस्थान में राजस्थान एआई पॉलिसी-2025 लागू होगी
- सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग ला रहा है राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी-2025।
- **उद्देश्य -** राजस्थान को जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार-प्रधान एआई हब बनाना।
- नीति से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी प्रशासन में एआई का उपयोग बढ़ेगा

2. राज्य कौशल नीति 2025

- 9 मार्च 2025 को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य कौशल नीति का अनुमोदन किया गया।
- यह नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरुप युवाओं को विशेष कौशलों में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।
- ITI को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जायेगा।
- सभी संभाग मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श, इटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जायेगी।

3. राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025

- 60 करोड़ की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइन्स एण्ड मिनरल्स स्थापित किया जायेगा।
- उदयपुर में इन्स्टीट्यूट ऑफ माइन्स स्थापित होगा।
- जोधपुर में MBM यूनिवर्सिटी पेट्रोकैम्पस स्थापित करने की योजना है।
- आगामी वर्षों में प्रदेश के 1 लाख 25 हजार घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई के द्वारा जोड़ा जायेगा।

GK Search Engine

4. टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी

लाँच: 31 मार्च, 2025

- दस वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव ।
- भूमि-भवन खरीद या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। भू-रूपांतरण शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण होगा।
- ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए) होगा।
- मेगा एवं अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं में स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए बेंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण।
- राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेट चार्जेज पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण।
- 1000 से अधिक वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। 40 हजार करोड़ का निवेश संभावित

5. राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी

लाँच : 31 मार्च, 2025

- वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फेट स्टेशन, एयर फेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी, ईएफसीआई का 25 प्रतिशत छूट।
- निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डवलपर को ब्याज सब्सिडी 7 प्रतिशत, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भूरूपांतरण, मंडी फीस के तहत विभिन्न छूट होगी।
- प्रोजेक्ट लागत की 50 प्रतिशत राशि का एकमुश्त पुनर्भरण (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए) तक हरित प्रोत्साहन मिलेगा।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

GK Search Engine

6. राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी

लाँच : 31 मार्च, 2025

- औद्योगिक क्षेत्रों का डेटा एक ही जगह एकत्रित हो और सुरक्षित हाथों में रहे। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों या आस-पास डेटा सेंटर बनाए जाएंगे।
- दस वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव ।
- सौ करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा।
- निवेश 5 साल के भीतर करना होगा।
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सात साल तक 100 फीसदी छूट, बैंकिंग, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन चार्ज में 10 साल तक सौर प्रतिशत छूट मिलेगी। भू-उपयोग परिवर्तन का शुल्क भी नहीं लिया जायेगा।
- ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए) होगा।

7. राजस्थान युवा नीति-2025

- **4 फरवरी 2025** को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवा नीति को मंजूरी मिली है।
- उद्देश्य युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता व अधिकारों तक पहुँच बनाना।
- यह नीति गत युवा नीति 2013 के स्थान पर लागू की जायेगी।
- नई नीति में कला, खेल, संस्कृति, साहित्य में उभरती प्रतिभाओं को समर्थन व सुविधाएँ प्रदान करने का समावेश है।

8. राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुऐंसर नव प्रसारक नीति

जारी दिनांक - 5 जनवरी 2025

* **विभाग -** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान
  - प्रदेश में अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सरकार की योजनाओं का भी प्रचार-प्रसार करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस नीति में दो श्रेणियाँ बनाई गई हैं।
  - श्रेणी ए में एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले और श्रेणी बी में 7 हजार से एक लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले इंफ्लुऐंसर को रखा गया है।
- ❑ जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक-एक, संभाग स्तर पर श्रेणी ए में दो-दो एवं बी में एक नव प्रसारक का चयन किया जाएगा।
- ❑ ए श्रेणी वाले को 25 हजार, बी श्रेणी वाले को 15 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे। माह के बीच में छोड़ने वालों को भुगतान नहीं मिलेगा।
- ❑ के जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में कार्य की निगरानी करेंगे।
- ❑ के विभाग इन नव प्रसारकों को कंटेट क्रिएशन स्किल्स प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इन्हें कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन करनी होगी।

9. राजस्थान AVGC-XR नीति-2024

मंजूरी- 4 दिसम्बर 2024

- ❑ राजस्थान की बजट घोषणा को पूरा करते हुए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान AVGC-XR नीति-2024' लाई गई जिसे राइजिंग राजस्थान के दौरान लांच किया गया।
- ❑ इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
- ❑ स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने वाले स्टार्ट अप्स और उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किये जाएंगे।
- ❑ ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं एडवांस्ड कम्प्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे।

GK Search Engine

10.राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024

मंजूरी- 4 दिसम्बर 2024

- ✓ यह नीति 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
- ✓ इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु "वन स्टॉप शॉप" समाधान के रूप में तैयार किया गया है।

नीति में मुख्य प्रावधान -

- ❑ नई एम.एस.एम.ई. की स्थापना और मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए रु. 50 करोड़ तक ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी, साथ ही चयनित इकाईयों के लिए अतिरिक्त 2% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- ❑ सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों द्वारा प्लेटफॉर्म के माध्य से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु ₹15 लाख की एकमुश्त सहायता ।
- ❑ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (रु. 5 लाख तक) राशि संहायता ।
- ❑ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौधिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (अधिकतम रु. 3 लाख) की सहायता प्रतिपूर्ति ।
- ❑ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर एम.एस.एम.ई. उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराए और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय के लिए 75% (अधिकतम रु. 1.5 लाख) सहायता ।
- ❑ उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75% (अधिकतम रु. 50000) प्रतिपूर्ति
- ❑ ई-कॉमर्स प्लेटफार्म शुल्क का 75% (अधिकतम रु. 50000) प्रतिपूर्ति।

11. राजस्थान खनिज नीति-2024

- ❑ 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना।
- ❑ खनन रियायत क्षेत्र को 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना।
- ❑ वर्ष 2047 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार ।
- ❑ शून्य-अपशिष्ट खनन, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- ❑ जी.पी.एस. - आधारित ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और रियल-टाइम निगरानी से अवैध खनन रोकना।

12. राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति-2024'

मंजूरी- 4 दिसम्बर 2024

- राज्य सरकार की मंशा अगले 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.50 लाख करोड़ रु. तक वृद्धि लाने की है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की गई 'राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति-2024' में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चला कर नए उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इस नीति में निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रु. तक सहायता, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रु. तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रु. तक पुनर्भरण किया जाएगा।
- डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रति इकाई को प्रति वर्ष लागत का 50% तक व अधिकतम पाँच लाख रु. की सहायता
- राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होने के लिए व्यय राशि का 75% अनुदान व आवागमन के लिए अधिकतम 3 लाख रु. प्रति वर्ष देने की तैयारी।
- निर्यात संबंधित सर्टिफिकेशन के लिए व्यय राशि का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 20 हजार रु. प्रति शिपमेंट व 3 लाख रु. अधिकतम प्रति वर्ष) किया जाएगा।
- आधुनिकतम तकनीक को बढ़ावा।
- निर्यात में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए फीस राशि का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम सीमा 2 लाख रु.)
- निर्यात की संभावना तलाशने के लिए बाजार में रिसर्च करेंगे।
- रिप्स के तहत पहली बार निर्यात के लिए माल भड़े में लागत का 25 प्रतिशत अनुदान

13. राजस्थान एम-सैंड नीति-2024

- इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (एम-सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना है।
- मुख्य विशेषताएँ -
- रॉयल्टी में 50% छूट और ओवरबर्डन डंप शुल्क में राहत ।
- निवेश सब्सिडी में 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति ।
- बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट।
- स्टॉप शुल्क पर 75% छूट।
- सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य ।

GK Search Engine

14. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024

मंजूरी 4 दिसम्बर 2024

उद्देश्य- अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य।

- अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भण्डारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नति 2024 का अनुमोदन किया गया है।
- नई नीति में 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने, फ्लोटिंग, रिजर्वायर टॉप और कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और 8 मार्च, 2019 के बाद शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल करने और नेट मीटरिंग व्यवस्था में 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोल रूफटॉप [घर की छतों पर विण्ड मिल लगाने] लगाने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियों को हासिल करना है।

- ✓ 2000 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रति वर्ष ।
- ✓ 90 गीगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना।
- ✓ 25 गीगावाट विंड और हाइब्रिड क्षमता की स्थापना।
- ✓ 10 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज

ग्रीन हाइड्रोजन

राजस्थान सरकार, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (आरआईपीएस) के तहत विभिन्न रियायतें प्रदान करेगी।

कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के ढाई गुना अधिक क्षमता का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने की अनुमति ।

ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ग्रीन प्लांट की स्थापना पर बैंकिंग सुविधा।

प्रसारण निगम के नेटवर्क पर ग्रीन हाइड्रोजन। ट्रांसमिशन पर 7 साल तक 50 प्रतिशत छूट।

ग्रीन एनर्जी

सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए राज्य स्तरीय एकल स्वीकृति समिति की मंजूरी की बाध्यता समाप्त की गई।

10 मेगावाट से कम क्षमता के सोलर प्लांट और पार्क लगाने पर पंजीयन शुल्क में छूट।

GK Search Engine

15. राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024

मंजूरी- 4 दिसम्बर 2024

- राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024' [ओडीओपी] को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इस नीति में नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रु. एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रु. तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी।

16. नागरिक उड्डयन नीति 2024

जारी होने की तिथि: 17 अप्रैल, 2025

- राज्य सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी कर दी है।
- नीति में नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं के बेहतर उपयोग और यात्रियों व माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओएस) सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की भी बात कही गई है।
- नीति के अनुसार राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और हैलीपेड सरकारी और निजी विमानों व हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति जिला कलक्टर दे सकेंगे। अन्य राज्यों के विमानों, निजी वायुसेवा प्रदाताओं, रक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से राज्य की हवाई पट्टियों और हैलीपेड के उपयोग पर सुरक्षा एवं सफाई शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अग्निशमन वाहनों, एंबुलेंस और नए हैलीपेड निर्माण के लिए शुल्क निर्धारित किए गए है।
- राजस्थान में एफटीओएस की स्थापना के लिए भूमि के लीज आवंटन की दर एवं प्रक्रिया भी तय की गई है।

GK Search Engine

17. राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025

♦ राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 को मंजूरी दी है।

♦इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे।

♦ इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी।

♦ इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

18. राजस्थान नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024

♦ राजस्थान में नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 को लागू करने, निगरानी व समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी।

♦नीति में आवासीय योजनाओं में 7% पार्क व खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र जरूरी। योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद रख-रखाव 5 साल या रेजिडेंट वेलफेयर को हस्तांतरण तक करना होगा।

♦2.5% प्रतिशत भूखण्ड रिजर्व रखने होंगे। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड आवंटन स्थानीय निकाय करेगा।

19. 'हील इन राजस्थान' पॉलिसी

♦ राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर 'हील इन राजस्थान' पॉलिसी लाई जाएगी।

♦गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ MVT (मेडिकल वैल्यू ट्रैवल) से जुड़ा डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा।

♦इस नीति के तहत एक MVT सेल बनेगी। MVT पोर्टल व एप विकसित किया जाएगा। मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे।

♦पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी को बढ़ावा दिया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की जाएंगी।

GK Search Engine

20. ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) नीति 2025

♦ राजस्थान सरकार जल्द ही ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) नीति 2025 लागू करने जा रही है।

♦ इससे प्रदेश में ही मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी। इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे।

♦ कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो खुद के सेंटर यहां खोलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार में सहयोग करेगी।

♦ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर यानि ऐसे केंद्र जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस और रिसर्च-डवलपमेंट जैसी सेवाएं देते हैं।

21. राजस्थान AI पॉलिसी 2025 ’

○ राजस्थान में भजनलाल सरकार जल्द ही ‘ राजस्थान AI पॉलिसी 2025 ’ लागू करने के लिए नई नीति ला रही है।

○ इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में प्रमुख निर्णय लिया गया है।

○ राजस्थान एआई (AI) पॉलिसी-2025 के तीन प्रमुख स्तंभ हैं-

1. नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल
2. राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा।
3. मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण।

○ इसके क्रियान्वयन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई (सीओई-एआई) की स्थापना की जाएगी।

○ यह नीति नेशनल इंडिया एआई मिशन के साथ संरेखित है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास है।

GK Search Engine

22. राजस्थान नई भूमि आवंटन नीति-2025

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 23 अगस्त को सीएमओ (CMO) में राजस्थान की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा के आगामी सत्र पर चर्चा से लेकर कई अहम फैसले हुए हैं
- भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है.
- सरकार भूमि आवंटन नीति-2025 लाई जाएगी. किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन में निष्पक्षता होगी. इससे आवंटन में पारदर्शिता आएगी
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, समाचार पत्र, कंपनियों को भूमि आवंटन के प्रावधान किया गया है। डीएलसी रेट की 25% दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, 2015 की नीति में संशोधन करके नई नीति बनाई जाएगी।

23. मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी

- राजस्थान में शीघ्र ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन - 2025 का अध्ययन कर राज्य में एग्रीगेटर पॉलिसी-2025 लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात् एग्रीगेटर कैब कम्पनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा। एग्रीगेटर कैब कम्पनी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम्पनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन आवश्यक हैं
- रेंट ए कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक है, जिनमें से 50 प्रतिशत वातानुकूलित वाहन होने चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी 2017 में न्यूनतम एक दुपहिया वाहन तथा रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम में न्यूनतम 5 दुपहिया वाहन आवश्यक हैं।

GK Search Engine

GK Search Engine